जीएसटी में Exporter को गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने से पहले LUT देना जरूरी है | CGST रूल्स का रूल 96A में यह प्रावधान है कि एक्सपोर्टर को LUT फॉर्म RFD-11 में देना होगा | यह ऑनलाइन ही submit होती है| इस Letter of undertaking में एक्सपोर्टर सरकार को निर्यात ना होने की स्थिति में GST तथा Section 51A का ब्याज देने का वचन देता है | यह सब तब देय होता है जब उसका वस्तुओं का निर्यात 3 महीने में नहीं हो पाता है तथा सर्विस के केस में उसका पेमेंट विदेशी मुद्रा में 1 साल के भीतर नहीं आता है|

CBIC ने circular 8/8/2017 dated 4/10/2017 में बताया था कि यह अंडरटेकिंग वित्तीय वर्ष के लिए हर साल अप्रैल से शुरू होकर मार्च तक होती है| इसके पश्चात हर नए साल में LUT कमिश्नर को देनी होती है|

इस बार कोविड-19 को देखते हुए बहुत सारे निर्यातक LUT को फाइल नहीं कर पाए हैं| लॉकडाउन के कारण ऐसा हुआ है| क्या इस LUT को फाइल करने की तिथि भी 30.06.2020 तक स्थगित कर दी गई है? जब सरकार ने सभी compliances को 30.06.2020 तक स्थगित कर दिया है तो लेखक के मत में LUT को भी सबमिट करने की तारीख स्थगित हो गई है |

परन्तु सरकार से आग्रह है कि जिस प्रकार उसने कोरोना की लड़ाई में इस कठिन समय में लॉकडाउन की स्थिति में सभी तरह से taxpayers को सहयोग किया है तो इस विषय पर भी clarification देकर इस भ्राति को दूर किया जाना चाहिए |

"Right now the first and foremost priority of the entire humankind must be to plank the curve through self-isolation. Stay at home and be safe."

Solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com and also at our facebook page at https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ and follow us on twitter https://www.twitter.com/@capradeepjain21